न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता : बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार प्रथम अपील संख्या :– 02/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गौरव गुप्ता, निवासी– गुलाब बाग, मानव आश्रम के पीछे, अलवर।		अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
विरुद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,(लोक सूचना अधिकारी)

:: आदेश::

दिनांकः 30.04.2019

प्रस्तुत सूचना अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2019 प्रेषित करते हुए निम्न बिन्दू अनुसार सूचना चाही गई थीः––

1. जोधपुर संभाग में पटवारी से भू0 अभिलेख निरीक्षक को पदौन्नति के लिये सन 2015–2016 में हुई रिव्यू डी0पी0सी0 के आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु।
2. वर्ष 2015–2016 पटवारी से भू0 अभिलेख निरीक्षक की पदौन्नति के लिये रिव्यू डी0पी0सी0 की बैठक की समस्त नोटशीट की प्रमाणित प्रति।
3. वर्ष 2015–2016 में जोधपुर सम्भाग में पदौन्नति से भरने योग्य भू0अ0 निरीक्षक के कितने पद खाली थे, की सूचना प्रमाणित प्रति में उपलब्ध करावें।

प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट ने निवेदन किया कि चाही गयी सम्पूर्ण सूचनाए अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही सूचनाएं न दिये जाने का कोई युक्ति युक्त कारण दर्शाये गये थे। अतः अपील प्रस्तुत कर चाही गयी सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत अपील पर लोक सूचना अधिकारी से मूल पत्रावली व टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि अपीलान्ट को बिन्दू संख्या एक की सूचना प्रति प्रेषित कर

बिन्दू संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में सम्बन्धित शाखा लिपिक से टिप्पणी प्राप्त कर जरिये पत्रांक 149 दिनांक 26.3.2019 को अपीलान्ट को सूचनाएं भिजवा दी गई थी।

हमने अपीलान्ट के द्वारा अपील मे प्रकट तथ्यों एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पत्रावली व प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर ने अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार चाही गयी सूचनाएं सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुरूप उपलब्ध नहीं करवाई गई है जबकि उक्त अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान दिये हुए है कि यदि किसी कार्यालय में आवेदकों के आवेदन अनुसार वांछित सूचना दस्तावेजों की प्रति यथा आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों/कार्यालय टिप्पणी (व्यक्ति सम्बन्धी निजी जानकारी/सूचना को छोडकर) इत्यादि उपलब्ध हो तो उसकी प्रतियॉ इस अधिनियम तहत जारी की जा सकती है।

अपीलान्ट के प्रकरण में चाही गई बिन्दूवार सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय रेकर्ड का अवलोकन करने पर कार्यालय में उपलब्ध होना पाया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को प्रकरण में चाही गई सूचनाएं निर्णय के 15 दिवस में नियमानुसार अपीलान्ट को उपलब्ध करावें। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावे।

(बी.एल. कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर

प्रतिलिपि– श्री गौरव गुप्ता, निवासी– गुलाब बाग, मानव आश्रम के पीछे, अलवर को सूचनार्थ प्रेषित है।

डिवीजानल कमिश्नर,
जोधपुर